संख्या–182 / 21–3–2013 / सं0सं0–9 / 2005 टी0सी0–।

प्रेषक,

डॉ0 ललित वर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संस्कृत संस्थान,
नया हैदराबाद लखनऊ।

भाषा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक : 29 नवम्बर, 2013

विषयः उ0प्र0 संस्कृत संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश संस्कृत सस्थान के कार्मिकों की अधिवर्षिता आयु तात्कालिक प्रभाव से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाती है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2– यह आदेश वित्त विभाग की आशासकीय संख्या–ई–7 / 1364 / दस–2013 दिनांकः 29 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

डॉ0 ललित वर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या– 182(1) / 21–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन।
3– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7 उत्तर प्रदेश शासन।
4– गोपन अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन।
5– गॉर्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर0एन0 द्विवेदी)
अनु सचिव।